न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 283/2022 | दायर दिनाँक 11.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. असरफ पुत्र मोहम्मद उमर उम्र 34 वर्ष जाति देशवाली निवासी खिंचिया बासनी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री केशव ओझा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा खिंचियाबासनी पटवार हल्का चौलूखां, भू—अभिलेख नि0 दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 बारानी 1 बने है, जिनके पुराने खसरा सं0 136 रकबा 32 बीघा 03 बिस्वा है। जो तथ्य सम्वत् 2006 से 2076 की जमाबंदी में स्पष्ट है। नकल जमाबंदी व खसरा मिलान, खसरा गिरदावरी पेश है व चालु जमाबंदी पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा सं0 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 बारानी 1 पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी के पूर्वज हबीब पुत्र खुदा बक्स की पैत्रिक की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात मोहम्मद उमर पुत्र हबीब की रही है, उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी का ही है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिकानियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादी के पूर्वज हबीब पुत्र खुदा बक्स की पैत्रिक की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मोहम्मद उमर पुत्र हबीब की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात् अब वादी की पैत्रिक व कब्जा काश्त की ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादी का है।

यह है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से सम्वत् 2025 को महकमा कस्टोडियम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरिक्षण नही करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को भारत सरकार महकमा कस्टोडियम दर्ज कर दिया गया है, जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा है तथा वर्तमान में वादी का उक्त खसरा सं0 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 बारानी 1 की भूमि पर आबाद है। वादी के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नही था और न ही वर्तमान में है। उक्त भूमि पर कस्टोडियम विभाग का या अन्य किसी का कोई अधिकार एवं कब्जा काश्त नही है तथा वादी व उसके परिवारजन कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नही गये, पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) गलत रूप से दर्ज हुआ था, जो राजस्व कर्मचारियों के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया, जिसे वादी शुद्धिकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादी के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) दर्ज होने के कारण समय—समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा एलानियां धमकियां देते है तथा वादी को उसकी पैत्रिक [illegible] से बेदखल करने की धमकियां देते है तथा उसके अधिकारों व हितों को [illegible]नीति [illegible] लगे हुये है तथा येन—केन प्रकारेण वादी की पैत्रिक [illegible] चाहते है। जिस हेतु यहवाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि मौजा खिंचियाबासनी पटवार हल्का चौलूखां, भू–अभिलेख नि0 दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खेत खसरा सं0 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 बारानी 1 जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं0 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 बारानी 1 की भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – खसरा मिलान भू–प्रबन्धक सेटलमेन्ट 2073–2092, प्रदर्श 2 – खतौनी भू–प्रबन्धक सेटलमेन्ट 2022, प्रदर्श 3 – खतौनी भू–प्रबन्धक विभाग सम्वत् 2022, प्रदर्श 4 व 5 – खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016, प्रदर्श 7 खतौनी सम्वत् 2000, प्रदर्श 8, 9, 10 – जमाबन्दी सम्वत् 2012, 2016–2019 व 2019 से 2022, प्रदर्श 11 – जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026, प्रदर्श 12 – जमाबन्दी सम्वत् 2038–2041, प्रदर्श 13 व 14 – गिरदावरी सम्वत् 2010–2013, प्रदर्श 15 व 2016 गिरदावरी सम्वत् 2014–2017, प्रदर्श 17 व 18 – गिरदावरी 2018–21 प्रदर्शित किये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा खिंचियाबासनी के खेत खसरा सं0 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 283/2022 दायर दिनाँक 11.07.2022

वादी		प्रतिवादी
1. असरफ पुत्र मोहम्मद उमर उम्र 34 वर्ष जाति देशवाली निवासी खिंचिया बासनी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज०।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव ओझा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा खिंचियाबासनी के खेत खसरा सं० 169 रकबा 5.2000 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner